राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

सं. एफ.6(179)परि/टैक्स/एच.क्यू./95/16सी जयपुर, दिनांक : 24.03.2005

अधिसूचना

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का राजस्थान अधिनियम सं. 11) की धारा 3 के साथ पठित धारा 4 की उप–धारा (1) के खण्ड (ग) और धारा 4–ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ.6 (179)परि/टैक्स/एच. क्यू/95/16बी, दिनांक 16.6.2001, को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार इसके द्वारा मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 88(9) के अधीन जारी किये गये परमिटों पर चल रहे इसके साथ संलग्न सारणी के स्तम्भ सं.1 में विनिर्दिष्ट अन्य राज्यों के परिवहन यानों के मामले में कर की दर उसके स्तम्भ सं. 2 और स्तंभ सं. 3 में प्रत्येक के सामने विनिर्दिष्ट दरों पर विहित करती है :–

सारणी

	परिवहन यान का वर्णन	धारा 4(1)(ग) के अधीन कर की दर	धारा 4–ख के अधीन कर की दर
	1	2	3
	पर्यटक परमिट पर चलने वाले अन्य राज्यों के परिवहन यान		
(i)	ड्राइवर को अपवर्जित करते हुए 5 तक की सीट क्षमता वाले	7 दिन या उसके भाग के लिए 10/–रु. प्रति सीट	100/–रु. प्रतिदिन
(ii)	ड्राइवर को अपवर्जित करते हुए 5 से अधिक और ड्राइवर को अपवर्जित करते हुए 12 तक की सीट क्षमता वाले	7 दिन या उसके भाग के लिए 20/– रु. प्रति सीट	300/– रु. प्रतिदिन
(iii)	ड्राइवर को अपवर्जित करते हुए 12 से अधिक और ड्राइवर और कण्डक्टर को अपवर्जित करते हुए 40 तक की सीट क्षमता वाले	7 दिन या उसके भाग के लिए 80/– रु. प्रति सीट	1500/–रु. प्रतिदिन
(iv)	ड्राइवर और कण्डक्टर को अपवर्जित करते हुए 40 से अधिक की सीट क्षमता वाले	7 दिन या उसके भाग के लिए 100/–रु. प्रति सीट	1600/–रु. प्रतिदिन

टिप्पणीः–

1– ऊपर विनिर्दिष्ट दरों पर चार दिन के लिए धारा 4–ख के अन्तर्गत विशेष सड़क कर का एकमुश्त संदाय करने पर उस कलैंडर मास में कोई और कर संदत्त नहीं किया जायेगा चाहे उस मास के दौरान फेरों की संख्या कुछ भी हो।

2– किसी मोटर यान के स्वामी या उस पर कब्जा या नियन्त्रण रखने वाले व्यक्ति द्वारा, इस अधिसूचना के अधीन संदेय कर के अतिरिक्त, कोई भी ऐसा कर या शास्ति, जो उक्त अधिनियम के प्रवृत्त होने के पूर्व किसी भी कालावधि के लिए उक्त अधिनियम के अधीन संदेय थी, ऐसी दरों पर, जो समय–समय पर ऐसे यानों पर लागू थी, संदत्त की जायेगी।

राज्यपाल के आदेश से,

शासन उप सचिव